तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमलेश उनवान सरकार बनाम ....कजोड़.... 88, 188 RTA

मुकदमा नं० ....76/13.... निर्णय दि० ....11/10/21....

प्रति. सं. 1 कजोड़ के जीवनकाल में उसके पैतृक हिस्सा 49 में उसके दो पुत्र प्रति. सं. 5 व 6 भी बराबर के हिस्सेदार हैं। अतः प्रति. सं. 5 व 6 तथा प्रति. सं. 1 प्रत्येक 16.3 बिस्वा भूमि के हकदार हैं। प्रति. सं. 1 ने मात्र 6 बिस्वा का बेचान किया है इस आधार पर प्रश्नगत भूमि 9.16 बीघा पर वादिया 1 ता 3 प्रत्येक 49 बिस्वा की खातेदार घोषित की जाती है। प्रति. सं. 4, 5 व 6 प्रति. सं. 1 की शेष भूमि (जो वर्तमान में खातेदारी दर्ज है) यानि 43 बिस्वा के वाहिद खातेदार घोषणा के अधिकारी हैं।

तनकी सं. 2 → ~~तनकी सं.~~ वादीगण घोषणा अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा के अधिकारी हैं— वादीगण तनकी सं. 1 में उद्घोषणा की हद तक वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं।

तनकी सं. 3 → वादीगण का वाद मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध पेश होने के कारण खारिज योग्य है—

वादीगण द्वारा उभय पक्षों के फौत पक्षकारों को समय-2 पर पक्षकार बनाया है अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

आदेश

वादीगण सं. 1 ता 3 प्रत्येक को विवादित भूमि 9.16 बीघा में प्रत्येक 49 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रति. सं. 4 ता 6 को 43 बिस्वा भूमि का वाहिद खातेदार घोषित किया जाता है। घोषणा अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वादीगण प्रश्नगत बेचाननामे दि. 29.5.13 बाबत सक्षम सिविल न्या. में वाद दायर कर आवश्यक अनुतोष प्राप्त करें।

निर्णय अनुसार डिक्री तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

(रणजीत सिंह)
11.10.21